



भारत सरकार/Government of India

वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग

Ministry of Finance, Department of Revenue

सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्त का कार्यालय

Office of the Commissioner of Customs (Preventive)

110 महत्मा गांधी रोड, पूर्वोत्तर क्षेत्र, शिलांग-793001, मेघालय

110 Mahatma Gandhi Road, NER, Shillong - 793001, Meghalaya

फोन/Phone: 0364-2222597/2225325/2229005. फैक्स/Fax: 0364-2223440/2229007. ई-मेल E-mail: cusshg@gmail.com

(हिंदी अनुवाद)

अनुदेश संख्या 01/2018

दिनांक 5 फरवरी, 2018


विषय: पौध निर्यात/पौध सामग्री के प्रवेश बिंदु।

आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है कि पौध संगरोध आदेश (भारत में आयात का विनियमन), 2003 (संशोधित), जिसमें अनुसूची -I (समुद्री शैवाल / हवाई अड्डे / एलसीएस), अनुसूची -II (आईसीडी/सीएफएस) एवं अनुसूची -III (एफपीओ) सीमा शुल्क चौकी की सूची अनुसार पौध निर्यात/पौध सामग्री/पौध उत्पाद हेतु अधिकृत किया गया है। उक्त सूची के अनुसार, निम्नलिखित सीमा शुल्क चौकी को आयुक्तालय के क्षेत्राधिकार के तहत वस्तुओं के निर्यात हेतु अधिकृत किया है।

हवाईअड्डे	
1.	गुवाहाटी (असम)
थल सीमा चौकी	
1	अगरतला (त्रिपुरा)
2	मोरेह (मणिपुर)
3	जोखावथर(मिज़ोरम)
विदेशी पोस्ट ऑफिस	
1.	गुवाहाटी(असम)

पौध संगरोध आदेश (भारत में आयात का विनियमन), 2003 (संशोधित) कि धरा 13 के अनुसार, पौधों और पौधों के उत्पादों और अन्य विनियमित लेखों के सभी सामानों को केवल अनुसूची -1 के अंदर प्रवेश के बंदरगाहों के माध्यम से भारत में आयात किया जाएगा और अंतर्देशीय कंटेनर डिपो / कंटेनर फ्रेट स्टेशनों और विदेशी डाक कार्यालयों को संचालित संबंधित संयंत्र क्वारंटाइन स्टेशनों के क्षेत्राधिकार में पड़ने वाले विदेशी डाकघर समय-समय पर सरकार द्वारा अधिसूचित किए जाएंगे।


चूंकि इस उद्देश्य के लिए अधिकृत सीमा शुल्क स्टेशनों के माध्यम से संयंत्र / पौधों की सामग्री के आयात की रिपोर्ट मान्य नहीं है, इसलिए इस प्रकार निर्देशित किया जाता है कि पौध / पौध की सामग्रियों के आयात को केवल निर्दिष्ट प्रविष्टियों के बंदरगाहों के माध्यम से आयात करने की अनुमति दी जाती है और आयुक्तालय के अधिकार क्षेत्र में शामिल किसी अन्य सीमा शुल्क स्टेशनों के माध्यम से मान्य नहीं होगा। उपरोक्त निर्देश का अनुपालन गंभीरता से लिया जाएगा।


(बंदना देवरी)
आयुक्त

25 FEB 2018

प्रति सूचना हेतु:

1. मुख्य आयुक्त, सीजीएसटी एवं सीमा शुल्क, शिलांग ।
2. उप/सहायक आयुक्त, सीमा शुल्क प्रभाग अगरतला/ आइज़ल/दिमापुर/ गुवाहाटी/ इम्फाल/ करीमगंज/धुबरी/शिलांग
3. सहायक आयुक्त, थल सीमा चौकी अगरतला / सुतारकंडी/ मोरेह अनुवर्ती हेतु।
4. उप आयुक्त, आईसीडी, अनुवेरती हेतु अमीनगाँव।
5. उप आयुक्त (नि), सीमा शुल्क, शिलांग
6. अधीक्षक, कंप्यूटर सेल, सीमा शुल्क, शिलांग को इस जन सूचना को वेबसाइट पर अपलोड किया जाए ।
7. गार्ड फाइल ।



(वंदना देवरी)
आयुक्त